

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 10, शुक्रवार, शाके 1947- अगस्त 01, 2025 Sravana 10, Friday, Saka 1947- August 01, 2025

भाग-4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्र्प-2)

अधिसूचना

जयप्र, जुलाई 31, 2025

संख्या प.4(2)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2025 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 ज्लाई, 2025 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यत:, राजस्थान राज्य विधान-सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थातः-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविदयालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 1 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 1) की धारा 6 में,-
- (i) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "स्वायत्त होना" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या राज्य सरकार दवारा शासित होना" अंतः स्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के घटक या उसके द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय होना घोषित कर सकेगी। ऐसी घोषणा होने पर ऐसे महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण और समस्त भूमि, भवनों, प्रयोगशालाओं, उपस्कर, पुस्तकों सिहत समस्त आस्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय(यों) के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा गठित स्क्रीनिंग सिमिति द्वारा स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर, और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर, राज्य सरकार के अधिकारी, अध्यापक, या यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।"।

हरिभाऊ किसनराव बागडे, राज्यपाल, राजस्थान।

> ब्रजेन्द्र जैन, प्रम्ख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 31, 2025

No. F.4(2)Vidhi/2/2025.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Svasthya Vigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2025 (2025 Ka Adhyadesh Sankhyank 1) promulgated by him on the 26th day of July, 2025:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

(Ordinance No. 1 of 2025)

(Made and promulgated by the Governor on the 26th day of July, 2025)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) This Ordinance may be called the Rajasthan University of Health Sciences (Amendment) Ordinance, 2025.
 - (2) It shall come into force at once.
- **2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 1 of 2005.-** In section 6 of the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No. 1 of 2005),-
 - (i) in the clause (b) of sub-section (2), after the existing expression "is required to be self-governing" and before the existing expression "or to be associated with", the expression "or to be governed by the State Government" shall be inserted; and
 - (ii) after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-
 - "(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, declare any college, constituent to or established by the University, to be a government college. Upon such declaration, the administrative control of such college and all assets including all land, buildings, laboratories, equipment, books shall vest in the State Government and the officers, teachers and employees of such college(s) after being found suitable through screening by a screening committee constituted by the State Government and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers, or, as the case may be, employees of the State Government."

हरिभाऊ किसनराव बागडे, Governor of Rajasthan.

ब्रजेन्द्र जैन, Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।